तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिसियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 101/2020 अनवान चिमाराम बनाम तहसीलदार बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय नोख पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 26.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, नोख पर राजकीय माध्यमिक विधालय नोख पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

26.11.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय नोख, राजकीय माध्यमिक विधालय नोख पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा फर्द मौका बनाकर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. मौजा नोख के खातेदारी खेत मूल खसरा नंबर 210/68 का विभाजन प्रार्थीगण द्वारा करवाने पर निम्न अनुसार पृथक–पृथक खाते दर्ज कर खसरो की तरमीम नक्शा लठा ट्रेस में की गई थी जो कि सलंग्न परिरिष्ट 'A' अनुसार है।

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	चिमाराम वल्द भोजाराम	221/68	3.02	बा.सो.	0.16
2	आदूराम वल्द भोजाराम	211/68	3.02	बा.सो.	0.16
3	पदमाराम वल्द भोजाराम	220/68	3.02	बा.सो.	0.16
4	चिमाराम, आदूराम, पदमाराम पि0 भोजाराम	222/68	0.04	बा.सो.	0.01

क्रम संख्या 4 पर अंकित खसरा नंबर 222/68 की संयुक्त खातेदारी भूमि प्रार्थीगण द्वारा रास्ता उपयोग हेतु रखी गई थी। उक्त रास्ता मौके पर संलग्न परिशिष्ट 'B' अनुसार चल रहा है जिससे निम्न अनुसार खसरान विभाजित होते हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	चिमाराम वल्द भोजाराम	221/68	3.02	बा.सो.	0.16
2	आदूराम वल्द भोजाराम	211/68	1.02	बा.सो.	0.05
		211/68	2.00	बा.सो	0.11
		2	3.02	बा.सो	0.16
3	पदमाराम वल्द भोजाराम	220/68	1.08	बा.सो.	0.07
		220/68	1.14	बा.सो.	0.09
		2	3.02	बा.सो	0.16
4	चिमाराम, आदूराम, पदमाराम पि0 भोजाराम	222/68	0.04	बा.सो.	0.01

इस प्रकार मौका स्थिति का नक्शा परिशिष्ट 'B' अनुसार सलंग्न फर्द है। इस प्रकार शुद्वी करने से किसी भी खातेदार के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तथा तीन खातेदार इससे सहमत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त अनुसार उक्त वर्णित अनुसार खाते में व नक्शा परिशिष्ट 'B' अनुसार नक्शे में दुरुस्ती किया जाना प्रस्तावित है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण मे मौजा नोख के खातेदारी खेत मूल खसरा नंबर 210/68 में परिशिष्ट 'A' अनुसार पूर्व मे की गई तरमीम को शुद्व कर परिशिष्ट 'B' अनुसार दुरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर